पत्र संख्या–4 / स्था0ब0–28 / 2001 614 /
झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग।

राँची, दिनांक 03/03/2001

प्रेषक,

श्री पंकज कुमार मिश्र,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में

निदेशक,
श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान,
राँची।

विषयः– श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के शासी निकाय के अधिकारों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में।

महाश्य,

निदेशानुसार सूचित करना है कि श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के शासी निकाय के अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेशों को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने उक्त शासी निकाय के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण निम्न रूप से करने का निर्णय लिया है :–

(क) संस्थान के वैसे मामले जिसमें कोई वित्तीय भार निहित नहीं हो अथवा किसी प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रस्ताव नहीं हो, उन मामलों में शासी निकाय की सहमति अंतिम मानी जाए।

(ख) बजट प्रावधान उपलब्ध रहने पर शासी निकाय को वित्तीय मामलों में सहमति ठीक उसी प्रकार से अंतिम मानी जाये, जिस प्रकार से योजना / केन्द्र चलित योजना आदि के संबंध में योजना प्राधिकृत समिति तथा गैर–योजना संबंधी मामलों में प्रशासी पदवर्ग समिति की मानी जाती है ।

(ग) शासी निकाय की बैठक वर्ष में कम–से–कम एक बार आवश्यक हो तथा संस्थान को शासी निकाय के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेवार माना जाए ।

विश्वास भाजन,

पंकज कुमार मिश्र
सरकार के उप सचिव
रांची

पत्र संख्या–4/स्था0ब0–28/2001 615/
झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग।

राँची, दिनांक 03/03/2001

प्रेषक,
श्री पंकज कुमार मिश्र,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में
निदेशक,
श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची।

विषयः– श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के शासी निकाय का पुनर्गठन।

महाश्य,

निदेशानुसार सूचित करना है कि श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के शासी निकाय के गठन संबंधी पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने उक्त शासी निकाय का निम्न प्रकार से पुनर्गठन का निर्णय लिया है :–

(1)	मुख्य सचिव, झारखंड सरकार	अध्यक्ष,
(2)	विकास आयुक्त, झारखंड सरकार	सदस्य,
(3)	वित्त आयुक्त, झारखंड सरकार	सदस्य,
(4)	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार	सदस्य,
(5)	सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार	सदस्य,
(6)	आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची	सदस्य,
(7)	भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी जो सामान्यतः संयुक्त सचिव या उसके ऊपर के स्तर के हों –	सदस्य,
(8)	निदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची	सदस्य सचिव,
(9)	निदेशक, बिहार ग्रामीण विकास संस्थान, राँची	सहयोजित सदस्य (कोऑप्टेड मेम्बर)

विश्वास भाजन,
पंकज कुमार मिश्र
सरकार के उप सचिव